उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 200/2017/3011/92-2-17-91जांच/2014

लखनऊ:: दिनांक:: 08 नवम्बर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद गोण्डा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यो की एन0क्यू0एम0 एवं एस0टी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा किये गये निरीक्षण में स्थलीय जांच में निर्माण कार्यो की ग्रेडिंग असंतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/5511/92-2014-91जांच/2014 दिनांक 02-01-2015 द्वारा श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, गोण्डा सम्प्रति पी0आई0यू0-देवरिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1082/92-2-16-91जांच/14 दिनांक 06-06-2016 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री शैलेष अग्रवाल, मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/श्री शैलेष अग्रवाल, मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री अवधेशमणि त्रिपाठी पर कतिपय आरोप सिद्व पाये जाने के फलस्वरूप समस्त प्रक्रियाओं के अनुपालन के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-119/2017/19अ0स0/ 92-2-17-91जांच/2014 दिनांक 18.07.2017 द्वारा श्री त्रिपाठी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये वर्ष 2016-17 के लिये परिनिन्दा दण्ड देते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया ।

2- उक्त आदेश के विरूद्व श्री अवधेशमणि त्रिपाठी द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 10.08.2017 प्रस्तुत करते हुये सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये वर्ष 2016-17 के लिये दिये गये परिनिन्दा दण्ड को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। श्री त्रिपाठी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-गोण्डा के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के पैकेज सं0-यू0पी0-3066 का निर्माण कार्य कराये जाने के समय एस0क्यू0एम0 (स्टेट क्वालिटी मानीटर) द्वारा की गयी जांच में समस्त कार्य विशिष्टियों के अनुरूप बताते हुये सेटइसफैक्ट्री पायी गयी। यद्यपि साइन बोर्ड मानक के अनुरूप नही पाया गया परन्तु नागरिकों हेतु पूर्ण उपयोगी था, जिसका एन0सी0आर0 भी जारी किया गया था। ठेकेदार द्वारा कम्पलायन्स रिपोर्ट न देने के कारण ठेकेदार को कोई भुगतान नही किया गया था, जिससे दुरभिसंधि या शासकीय क्षति परिलक्षित नही हो रही है।

एन0क्यू0एम0 की जांच के कार्य काफी समय से अवरूद्व थे। भारत सरकार से धनराशि आदि प्राप्त न होने के कारण पेंटिग कार्य को पूर्व ही मार्ग पर भारी यातायात प्रारम्भ हो गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिससे काफी समय अन्तराल के बाद किये गये जांच में स्टोन के इरोजन एवं स्टोन क्रासिंग के कारण उक्त कमियां जाना स्वाभाविक था। पी0आई0यू0 गाइड लाइन के अनुसार अधिशासी अभियंता का यह दायित्व होता है कि प्रगति में चल रहे निर्माण कार्यो पर यदि एस0क्यू0एम0/एन0क्यू0एम0 द्वारा यदि ग्रेडिंग 'यू' श्रेणी दी जाती है तो उसे ठेकेदार को नोटिस देते हुये ए0टी0आर0 का सत्यापन भी एस0क्यू0एम0/एन0क्यू0एम0 से कराया जाता है। कालान्तर में इन सभी का ए0टी0आर0 सैटिस्फैक्ट्री लेबल का एस0क्यू0एम0/एन0क्यू0एम0 द्वारा सत्यापित किया जा चुका है, जिसके फलस्वस्प कार्य पूर्णत: संतोषजनक श्रेणी का पाया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई शासकीय क्षति नही हुई है। ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से संतोषजनक स्तर का कार्य कराया जा चुका है। अत: उक्त के लिये सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये परिनिन्दा प्रविष्टि दिया जाना उचित नही है तथा सर्वथा न्याय के विपरीत है।

3- श्री अवधेशमणि त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन दिनांक 10.08.2017 के संबंध में प्रकरण से संबंधित सभी सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि पैकेज संख्या-यू0पी0-3066 सी0बी0एन0 रोड से अन्धायी बन्धा तक के मार्ग का निर्माण कार्य अपचारी अधिकारी, श्री त्रिपाठी द्वारा योजनाबद्व एवं विशिष्टियो के अनुरूप नही कराया गया, जिसके फलस्वरूप डब्ल्यू0बी0एम0 की ग्रेडिंग, कम्पैक्शन एंव थिकनेस विशिष्टियों के अनुरूप नही पाई गई। जी-2 के मैटेरियल का विशिष्टियों के अनुरूप टेस्ट कराने के उपरान्त प्रयोग नही कराया गया, जिसक परिणाम स्वरूप मार्ग की गुणवत्ता प्रभावित हुई। उक्त के अतिरिक्त कार्यस्थल पर साइनबोर्ड भी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की विशिष्टियों के अनुरूप स्टैण्डर्ड साइज का नहीं पाया गया। उक्त से स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी श्री अवधेश मणि त्रिपाठी द्वारा संबंधित ठेकेदारो से दुरभि-संधि कर सरकारी धन को हडपने/दुरूपयोग करने का प्रयास किया गया। उक्त अनियमित कृत्य से श्री अवधेश मणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, गोण्डा सम्प्रति पी0आई0यू0-देवरिया की सत्यनिष्ठा संदिग्ध परिलक्षित हुई। उक्त अनियमितता हेतु श्री अवधेश मणि त्रिपाठी की वर्ष 2016-17 की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये परिनिन्दा दण्ड के साथ शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-119/2017/19अ0मु0स0/92-2-17-91जांच/14 दिनांक 18-07-2017 द्वारा श्री त्रिपाठी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया गया है।

4- इस प्रकार श्री अवधेशमणि त्रिपाठी के पत्र दिनांक 10-08-2017 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री त्रिपाठी का उक्त प्रत्यावेदन बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त करते हुये निस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 200/2017/3011(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0 यू0-2, गोण्डा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।